ISSN 2320-768X, Impact Factor : 2.2
Vol. XI, Issue I (April – 2023)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

डॉ0 दीपा
राजनीति विज्ञान विभाग

अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नही की जा सकती है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है।

व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है इस रूप में उसे कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं जो मानव अधिकार कहलाते हैं। यह अधिकार व्यक्ति को अपने अस्तित्व से ही प्राप्त हैं। यह अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता व गरिमा बनाये रखने के लिए व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। अतः इन्हें मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों को मानव अधिकार उनकी मानव जीवन में उपयोगिता के आधार पर कहा जाता है। यह मानवाधिकार व्यक्ति को बिना किसी भेद–भाव, धर्म, जाति, वंश, रक्त, वर्ण के समान रूप में प्राप्त होते हैं।

अमरीका तथा फ्रांन्सीसी क्रान्ति के पश्चात मानव अधिकारों की जो घोषणा हुई उनके द्वारा मानव के महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार किया गया। सन् 1941 ई0 में अमरीकी कांग्रेस को दिये गये संदेश में अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चार स्वतन्त्राओं पर बल दिया था। भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म तथा विश्वास की स्वतन्त्रता, अभाव से स्वतन्त्रता तथा भय से स्वतन्त्रता ये सभी अधिकार विश्व में हर स्थान पर सभी को प्राप्त होने चाहिये। अटलांटिक चार्टर से लेकर द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के पूर्व अनेक सम्मेलनो में मित्र राष्ट्रों के द्वारा मानवीय अधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं पर बार–बार बल दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों के आदर्श को स्वीकार करने के पश्चात मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धान्तों का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। लगभग तीन वर्षो के प्रयत्नों के बाद "मानव अधिकार अयोग" ने "मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा" का प्रारूप तैयार किया जिससे कुछ संशोधनों के साथ 10 दिसम्बर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। मानव अधिकार घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं। इस घोषणा पत्र में न केवल नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों का वरन सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों का भी पहली बार प्रतिपादन किया गया।

भारतीय संविधान के भाग–3 में वर्णित मूल अधिकारों, इंगलैण्ड के मेग्नाकार्टा, अमरीका के बिल

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 2.2
Vol. XI, Issue I (April – 2023)

ऑफ राइटस तथा फ्रांस के मानव अधिकार घोषणा पत्र की संज्ञा दी जाती है।

"गोलक नाथ बनाम स्टेअ ऑफ पंजाब"[1] विवाद में उच्चतम न्यायालय ने इन अधिकारों को व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्ययक माना है "मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया"[2] विवाद में भी उक्त मत की पुष्टि करते हुए इन मूल अधिकारों में व्यक्ति के सम्मान के संरक्षण और व्यक्ति के विकास की परिकल्पना की है। इस विवाद में न्यायमूर्ति पी0एन0 भगवती ने कहा है कि इन मुख्य उद्देश्य भारत में स्वाधीनता का वटवृक्ष विकसित करना रहा है। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार इन मूल अधिकारों की परिभाषायें बदलती रही हैं और प्रवर्तन के नये उपाय निकलते रहे हैं। "ए0के0 गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास"[3] विवाद में इनकी विधान मण्डलों द्वारा अतिक्रमण से सुरक्षा की गई तो "केशवानन्द भारती बनाम स्टेट केरल"[4] विवाद में इनको संविधान का मूल ढांचा माने हुए नष्ट होने से बचा लिया गया है।

धीरे–धीरे यह मूल अधिकार मानव अधिकार के रूप में प्रख्यात होने लगे। हमारे न्यायालय में भी इन मूल अधिकारों को मानव अधिकारों के दायरे में ला दिया। जब मानवीय मूल्यों का ह्यस एवं मानव अधिकार का अति उल्लंघन होने लगा तो न्यायालय ने नई नई व्यवस्थायें देकर इन्हें पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। जेलों में कैदियों के प्रति किये जाने वाले अमानवीय एवं क्रूर व्यवहार पर प्रहार करते हुए "सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन"[5] विवाद में न्यायमूर्ति कृष्णा अययर ने मानव अधिकारों को विधिशास्त्र एवं संविधान का अभिअंग बताते हुए उन्हें संरक्षण प्रदान किया "प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन"[6] विवाद में तो यहां तक कह दिया गया है कि मानव अधिकार संबंधी उपबन्धों का निर्वाचन करते समय संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणा पत्र में निहित मूल सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिये जो जेल, जेल कर्मियों और बन्दियों से सुधार करता है। सभ्य समाज में मानव अधिकारों का मूल्य इतना बढता चला गया है कि इनके संरक्षण के लिए संसद और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ही पारित कर दिया गया। यह अधिनियम मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर रहे हैं।

अधिनियम का नाम, विस्तार एवं प्रवर्तन

इस अधिनियम को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से सम्बोधित किया गया। इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। परन्तु जहां तक जम्मू एवं कश्मीर का प्रश्न है यह अधिनियम वहाँ संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची अथवा सूची–3 में वर्णित विषयों के संबंध में ही लागू होगा। इस अधिनियम को 28 सितम्बर 1993 से लागू किया गया है। (धारा ।) 28 सितम्ब्र 1993 को वह तिथि है जिस दिन राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। वह अधिनियम सन 1994 का अधिनियम संख्या 10 है तथा इसे राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 08 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई।

विधायी इतिहास

किसी भी अधिनियम का विधायी इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है "कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स बनाम"[1] "शम्भू लाल नाथालाल एण्ड क"[2] विवाद में यह कहा गया है कि विधायी इतिहास ही है। जो न

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 2.2
Vol. XI, Issue I (April – 2023)

केवल अधिनियम के उद्देश्य एवं कार्यो पर प्रकाश डालता है अपितु उसे बचाता है।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम सन् 1993 में मानवाधिकार आयोग (विधेयक) संख्या 65 लाया गया। लेकिन दलगत राजनीति के कारण वह पारित नहीं हो सका।

विधेयक के उद्देश्य एवं कारण

16 दिसम्बर 1966 को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सिविल एवं राजनैतिक अर्न्तराष्ट्रीय प्रसंविदाओं को अंगीकृत किया गया है। भारत भी इसका एक पक्षकार रहा है। भारत में भी इन प्रसंविदाओं को स्थान देने के लिए समय–समय पर चिन्तन एवं विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। मानवाधिकारों पर अन्य कई कांफ्रेंस एवं सेमिनार भी बुलाये गये। 27 मार्च 1979 भारत द्वारा आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं प्रसंविदा का अनुसमर्थन कर दिया था। तथा उपरोक्त प्रसंविदा को व्यवहारिक रूप देने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एन0एच0आर0सी0 की स्थापना की गई।

आधुनिक विश्व आज भी जातीय घृणा, द्वेष से परिपूर्ण है और विश्व के विभिन्न देशों में धर्म व जाति के नाम पर नरसंहार हो रहा है। करोडो लोगो को भोजन, निवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। विशेषकर महिलायें व छोटे बच्चों का शोषण विभिन्न स्तरों पर विद्यमान है। मानवाधिकार का भविष्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारों में न होकर स्वयं समस्त मानव जाति के हाथों में निहित है।

विधिवत मानवाधिकार आयोग के गठन के 7 वर्ष उपरान्त भी भारत में मानव अधिकारों की कई व्यवस्थायें होने के बावजूद भी प्रतिदिन हजारों अत्याचार महिलाओं, बाल श्रमिकों, कैदियों आदि पर होते हैं। अतः शोध द्वारा संवैधानिक उद्घोषणाओं मानवाधिकार आयोग की व्यवहारिक स्थिति को खोजने का प्रयत्न किया जायेगा। मानव अधिकार आयोग की विफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को इस शोध का केन्द्र बिन्दु बनाया जायेगा जिससे भविष्य में भारतवासियों के मानव अधिकारों की रक्षा और अच्छे तरीके से की जा सके।

नर और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महिला उत्पीड़न में बलात्कार, दहेज हत्या, तलाक और अन्य अपराध– देह व्यापार आदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण तथा अपमान व संघर्ष का एक बडा इतिहास है।

डा0 अक्षेन्द्र नाथ सारस्वत ने अपने ग्रन्थ में ग्रामीणों के प्रति महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडे वर्गो के प्रति, अल्पसंख्यकों तथा श्रमिकों के प्रति सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पुलिस की भूमिका को चित्रित किया है। सुधा रानी श्रीवास्तव ने अपने ग्रन्थ में भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थति को दर्शाया है। चेतन सिंह मेहता ने भी अपनी पुस्तक में महिलाओं के लिए बनाये गये कानूनी अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण बाल श्रम (गिरवीकरण), अनैतिक व्यापार इत्यादि पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। इनके अलावा डा0 बसन्ती लाल बाबेर द्वारा लिखित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम व डा0 अरूण पलाई द्वारा लिखित ग्रन्थ

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 2.2
Vol. XI, Issue I (April – 2023)

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं लेकिन इनमें से किसी भी लेखक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर अपने विचार पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किये हैं।

उपरोक्त परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिये हम निम्न पद्धतियों का आश्रय लेंगें। यथा–विभिन्न आयु के व्यक्तियों से व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर साक्षात्कार पद्धति, तुल्नात्मक पद्धति, वर्णनात्मक पद्ध ति, विश्लेषणात्मक पद्धति, विवरणात्मक पद्धति।

अतः मैं उनसें विभिन्न पहलूओं पर अध्ययन करना चाहती हूँ। सुविधा की दृष्टि से प्रस्तावित शोध ग्रन्थ को निम्न अध्यायों में विभाजित किया गया है।

संदर्भ गंथ सूची

हिंदी ग्रन्थ

1. डा0 बसन्तीलाल बाबेल, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
2. डा0 फड़िया (बी0एल0), अन्तराष्ट्रीय राजनीति
3. डा0 अरूण पलाई, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
4. अक्षेन्द्र नाथ सारस्वत, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पुलिस
5. मेहता (चेतन), महिला एवं कानून
6. बहोरा (आशा रानी), नारी शोषण आइने और आयाम
7. सुधा रानी श्रीवास्तव, भारत मं महिलाओं की वैधानिक स्थिति

अंग्रेजी ग्रन्थ

8. Johns Peter, Rights
9. Sinha (R.K.), Human Rights in World
10. Dewan (Paras), Human Rights and